एम. एम. कुमार ज.

सतनाम सिंह, अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

डॉ। त्रिलोकी नाथ चुघ और अन्य,- प्रतिवादी

16 अप्रैल, 2004

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–एस. 145–सिविल प्रक्रिया संहिता,–1908-0. 39 नियम 1 और 2 - स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा - ऑर्डर 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन की सूचना के बाद न्यायालय वादी के पक्ष में अंतरिम आदेश दे रहा है - स्थगन आदेश के बावजूद प्रतिवादी वादी को बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं - ऑर्डर 39 नियम 2-ए सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल करके निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश का कार्यान्वयन करने के लिए वादी पुलिस की मदद माँग रहा हैं- जब धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वादे को विशिष्ट उपाय दिया गया है ,क्या सिविल न्यायालय अपने आदेश को लागू करवाने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है - माना जाता है, हाँ - एक बार सिविल न्यायालय ने

निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित किया तो धारा 145 Cr के तहत कोई कार्यवाही नहीं। पी.सी. सक्षम होगा–याचिका खारिज होने योग्य है।

माना गया कि धारा 145 सीआरपीसी के तहत। पी.सी., सिविल कोर्ट द्वारा किसी निर्देश के अभाव में अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित विवादों के संबंध में निवारक उपाय किए जा सकते हैं। एक बार जब सिविल कोर्ट ने वादी-प्रतिवादी नंबर 1 के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित कर दिया, तो धारा 145 सीआर के तहत कोई कार्यवाही नहीं होगी। . किसी भी कल्पना से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 145 के तहत तथाकथित विशिष्ट उपाय उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद भी सिविल कोर्ट के पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है। सिविल कोर्ट द्वारा अपने अंतर्निहित क्षेत्र के अधिकार का प्रयोग करके अपने 1 दिसंबर, 2003 आदेश को लागू करवाया गया।

(पैरा 3)

निर्णय

एम. एम. कुमार, जे,

(1) यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), सिरसा द्वारा पारित 6 अप्रैल, 2004 के आदेश जिसमें की निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन के लिए की वादी को पुलिस सहायता प्रदान की गई उस आदेश को चुनौती देती है। दिनांक 1 दिसंबर, 2003. को रबी फ़सल की कटाई के लिए पुलिस सहायता की आवश्यकता थी। यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता 1 दिसंबर 2003 को जो ऑर्डर पारित किया गया

उसमें पार्टी थे। यह आदेश उस आवेदन पर पारित किया गया जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत दायर किया गया था और सिविल मुक़दमे के साथ दायर किया गया था जिसका शीर्षक "त्रिलोकीनाथ बनाम सतनाम सिंह " है।

इस मुक़दमे में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद का दावा प्रतिवादी-याचिकाकर्ता और अन्य सह-मालिकों प्रतिवादी-प्रतिवादी 2 से 7 को वाद भूमि पर विशेष कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए प्रार्थना की गई।

1 दिसंबर, 2003 को मुकदमे ओर आवेदन जो आदेश XXXIX नियम 1 ,2 के तहत दायर किया गया था की उचित सूचना के बाद सिविल जज ने वादी 1 पक्ष में और प्रतिवादी 2-7 के खिलाफ अंतरिम आदेश दिया है । यह प्रथम दृष्टया पाया गया है वादी-प्रतिवादी 1 मुकदमे पर कब्ज़ा कर रहा है

प्रतिवादी-प्रतिवादी 2 से 7 द्वारा की गई भूमि और विभाजन की कार्यवाही आयुक्त के समक्ष अपील में लंबित है। यह इन परिस्थितियों में है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी-प्रतिवादी 2 से 7 को मुकदमे की भूमि पर वादी-प्रतिवादी 1 के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने और मुकदमे के अंतिम निपटान तक विचाराधीन ट्यूबवेल को नुकसान पहुंचाने से रोका गया था। मुकदमे के लंबित रहने और 1 दिसंबर, 2003 के उपरोक्त आदेश के अस्तित्व के दौरान, वादी-प्रतिवादी 1 द्वारा संहिता के आदेश XXXIX नियम 2-ए के तहत एक आवेदन इस आरोप के साथ दायर किया गया था कि स्थगन आदेश के बावजूद, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता साथ ही प्रतिवादी-प्रतिवादी 2 से 7 ने वादी-प्रतिवादी 1 को बेदखल करने का प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप पुलिस स्टेशन रनिया में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। यह प्रयास 5 दिसंबर, 2003 और 14 मार्च, 2004 को दोहराया गया और पुलिस अधीक्षक, सिरसा और अन्य पुलिस अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आरोप लगाया गया था कि 24 मार्च, 2004 को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता और प्रतिवादी-प्रतिवादी 2 से 7 ने जबरन सरसों की फसल काट ली। आवेदन की सूचना और पक्षों को सुनने के बाद, सिविल जज ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:—

"वर्तमान आवेदन आदेश 39 नियम 2-ए के तहत एक याचिका में दायर किया गया है। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 उपस्थित नहीं हुआ है और उसने आवेदन का विरोध नहीं किया है, फिर भी प्रतिवादी 2, 5 और 6 के विद्वान वकील ने सतनाम सिंह की ओर से 17 कनाल भूमि पर अपना कब्जा दिखाकर इस न्यायालय के समक्ष मामला रखा है। सूट की ज़मीन 64 कनाल 4 मरला है। आवेदक का मामला यह है कि चूंकि प्रतिवादियों/प्रतिवादियों को विभाजन तक मुकदमे की भूमि में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है, इसलिए उन्हें भूमि में भी फसल काटने का कोई अधिकार नहीं है, जो उनके द्वारा पहले ही बोई जा चुकी है और उन्हें शेष मे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। बताया गया है कि सतनाम सिंह के पक्ष में खसरा-गिरदावरी के सुधार पर भी उच्च अधिकारियों ने रोक लगा दी है। कलेक्टर के आदेश को रिकार्ड में रखा गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 दिसंबर, 2003 के आदेश में आज भी वादी वाद भूमि पर खेती कर रहा है...

इस प्रकार, मेरा विचार है कि यह उपयुक्त मामला है जहां 1 दिसंबर, 2003 के न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए पुलिस सहायता दी जानी चाहिए। तदनुसार, एस.एच.ओ. इलाक़ा जहां भूमि स्थित है, को 1 दिसंबर, 2003 के आदेश के अनुपालन के लिए अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर पुलिस सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है।"

(2) प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील डॉ. गुरमीत सिंह ने तर्क दिया है कि कब्जे के विवादों के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्तता के लिए, 'सीआर.पी.सी.') की धारा 145 के तहत एक नियमित उपाय वादी-प्रतिवादी 1 के लिए उपलब्ध है और न्यायालय संहिता के आदेश XXXIX नियम 2-ए के साथ पढ़ी गई धारा 151 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। विद्वान वकील ने कहा है कि एक बार जब किसी स्थिति से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान होता है, तो संहिता की धारा 151 के तहत न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि निर्णयों की श्रृंखला से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि विशिष्ट प्रावधान सामान्य प्रावधानों के तहत शक्ति के प्रयोग को बाहर कर देगा।

(3) विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि यह याचिका निराधार है और इस प्रकार खारिज करने योग्य है। यह अच्छी तरह से तय है कि धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट द्वारा किसी निर्देश के अभाव में अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित विवादों के संबंध में निवारक उपाय किए जा सकते हैं। एक बार जब सिविल कोर्ट ने वादी-प्रतिवादी 1 के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित कर दिया, तो धारा 145 सीआर के तहत कोई कार्यवाही नहीं होगी। जैसा कि राम सुमेर पुरी महंत बनाम यूपी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है। (1). किसी भी कल्पना से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि धारा 145 सीआरपीसी के तहत तथाकथित विशिष्ट उपाय उपलब्ध है तो सिविल कोर्ट के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को बाहर कर देगा।

1 दिसंबर, 2003 के अपने आदेश को लागू करवाने का अधिकार क्षेत्र सिविल कोर्ट का है। इसके अलावा, 1 दिसंबर, 2003 के आदेश के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है, जो इस स्तर पर अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त आदेश को संशोधित/विस्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं है। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया सामान्य सिद्धांत यह है कि विशिष्ट प्रावधान सामान्य प्रावधान को बाहर कर देगा जो उपलब्ध नहीं होगा और यह तर्क बिल्कुल गलत है। इसलिए, मौजूदा याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

(4) ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है

(एम. एम. कुमार, जे.)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा

आर.एन.आर.

---

(1)1985 1 एस.सी. सी.427